**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 12**

**(दिनांक 21.06.2019 को उत्तर देने के लिए)**

**देश में एफ एम चैनल**

***12. श्री प्रतापराव जाधवः**
**श्री एच. वसंतकुमारः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) देश में प्रचालनरत एफ एम रेडियो स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में बुलढ़ाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बुलढ़ाणा सहित जिला मुख्यालयों में एफ एम रेडियो सुविधा स्थापित करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एफ एम रेडियो स्टेशनों से राजस्व का अर्जन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) किसी एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की औसत अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने किसानों और मछुआरों के लिये नये एफ एम चैनल संस्वीकृत किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) नए एफएम चैनलों की स्थापना के लिये निर्धारित जनसंख्या संबंधी मानदंड क्या हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावड़ेकर)**

**(क) से (च):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 21.06.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (च):** प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आज की तिथि के अनुसार आकाशवाणी के 458 एफएम प्रसारण स्टेशन हैं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-I** पर दिए गए हैं। दिनांक 15.02.2013 को बुलढ़ाणा में आकाशवाणी द्वारा 100 वाट के एक एफएम ट्रांसमीटर की शुरूआत की गई है। 100 मीटर वाले टावर के साथ 10 किलो वाट के एक एफएम ट्रांसमीटर तथा एक बहुउद्देशीय स्टूडियो की स्थापना पर औसतन लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत आती है। आकाशवाणी ने किसानों और मछुआरों के लिए अलग से एफएम चैनलों की स्थापना नहीं की है। तथापि, किसानों एवं मछुआरों को प्रसारण हेतु एफएम चैनलों पर विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। आकाशवाणी के पास देश के कोने-कोने में कवरेज देने का जनादेश है।

जहां तक प्राइवेट एफएम रेडियो का संबंध है, वर्तमान में देश के 27 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 107 नगरों में 381 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल कार्यशील हैं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-II** पर दिए गए हैं। प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों से अर्जित राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है। चूंकि प्राइवेट एफएम रेडियो चरण-III नीति शहर केंद्रित है इसलिए इसमें ऐसे सभी शहरों में एफएम रेडियों स्टेशनों की स्थापना का प्रावधान है जिसकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक है बशर्ते कि इसे किसी नजदीकी शहर के एफएम रेडियो से कवर न किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 11 शहरों, जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, का भी अनुमोदन एफएम रेडियों स्टेशनों की स्थापना के लिए किया गया है।

**अनुलग्नक-I**

| दिनांक 21.06.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 12 के भाग (क) से (च) के उत्तर में यथा उल्लिखित अनुलग्नक | | |
|---|---|---|
| **458 आकाशवाणी एफएम प्रसारण स्टेशनों की राज्य-वार सूची** | | |
| **क्रम.सं.** | **राज्य** | **चैनलों की सं.** |
| 1. | अंडमान निकोबार द्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) | 1 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 14 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 33 |
| 4. | असम | 21 |
| 5. | बिहार | 14 |
| 6. | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 1 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 13 |
| 8. | दादर और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) | 1 |
| 9. | दमन और द्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) | 2 |
| 10. | दिल्ली | 1 |
| 11. | गोवा | 1 |
| 12. | गुजरात | 15 |
| 13. | हरियाणा | 5 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 15 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 20 |
| 16. | झारखंड | 13 |
| 17. | कर्नाटक | 20 |
| 18. | केरल | 12 |
| 19. | लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र) | 1 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 25 |
| 21. | महाराष्ट्र | 30 |
| 22. | मणिपुर | 8 |
| 23. | मेघालय | 5 |
| 24. | मिजोरम | 10 |
| 25. | नागालैंड | 8 |
| 26. | ओडिशा | 19 |
| 27. | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 2 |
| 28. | पंजाब | 8 |
| 29. | राजस्थान | 22 |
| 30. | सिक्किम | 16 |
| 31. | तमिलनाडु | 15 |
| 32. | तेलंगाना | 11 |
| 33. | त्रिपुरा | 16 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 25 |
| 35. | उत्तराखंड | 20 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 15 |
| | **कुल** | **458** |

**<u>अनुलग्नक-II</u>**

| दिनांक 21.06.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 12 के भाग (क) से (च) के उत्तर में यथा उल्लिखित अनुलग्नक | | |
|---|---|---|
| **क्रम.सं.** | **राज्य** | **चैनलों की सं.** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| 3. | असम | 5 |
| 4. | बिहार | 8 |
| 5. | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 4 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 9 |
| 7. | दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र) | 9 |
| 8. | गोवा | 2 |
| 9. | गुजरात | 34 |
| 10. | हरियाणा | 7 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 3 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 8 |
| 13. | झारखंड | 8 |
| 14. | कर्नाटक | 17 |
| 15. | केरल | 20 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 17 |
| 17. | महाराष्ट्र | 60 |
| 18. | मेघालय | 3 |
| 19. | मिजोरम | 3 |
| 20. | ओडिशा | 8 |
| 21. | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 4 |
| 22. | पंजाब | 12 |
| 23. | राजस्थान | 26 |
| 24. | सिक्किम | 2 |
| 25. | तमिलनाडु | 30 |
| 26. | तेलंगाना | 11 |
| 27. | त्रिपुरा | 2 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 40 |
| 29. | उत्तराखंड | 1 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 14 |
| | **कुल** | **381** |

| दिनांक 21.06.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 12 के भाग (क) से (च) के उत्तर में यथा उल्लिखित अनुलग्नक | | |
|---|---|---|
| **प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारकों से प्राप्त राजस्व का विवरण** | | |
| **क्रम.सं.** | **राज्य** | **कुल राजस्व (करोड़ रु. में)** |
| 1 | चरण-I (1999-2005) में प्राप्त कुल राजस्व (इस अवधि के लिए राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है) | 353.52 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 134.05 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.35 |
| 4 | असम | 11.25 |
| 5 | बिहार | 94.54 |
| 6 | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 118.21 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 23.32 |
| 8 | दमन (संघ राज्य क्षेत्र) | 0.11 |
| 9 | दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र) | 857.06 |
| 10 | गोवा | 12.95 |
| 11 | गुजरात | 347.26 |
| 12 | हरियाणा | 13.08 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 10.85 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 11.95 |
| 15 | झारखंड | 19.08 |
| 16 | कर्नाटक | 540.25 |
| 17 | केरल | 256.60 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 155.91 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1291.47 |
| 20 | मेघालय | 3.04 |
| 21 | मिजोरम | 0.52 |
| 22 | ओडिशा | 23.23 |
| 23 | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 34.35 |
| 24 | पंजाब | 77.79 |
| 25 | राजस्थान | 186.96 |
| 26 | सिक्किम | 2.11 |
| 27 | तमिलनाडु | 517.17 |
| 28 | तेलंगाना | 233.15 |
| 29 | त्रिपुरा | 1.17 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 328.58 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 173.24 |
| | **कुल** | **5833.33** |